प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
यूपीएलसी, लखनऊ

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 17 जून, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स सत्कृति इन्फोटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (फेन्डा ऑडियो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड) को वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या:-1134/78-1-2017-87आईटी/2014, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई थी। नीति के 05 वर्षों के लक्ष्य 03 वर्षों में ही अर्जित कर लिये जाने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा नई "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" इस प्रतिबन्ध सहित प्रख्यापित की गई है कि "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" की अधिसूचना से पूर्व प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव तथा एक्नॉलेज्ड प्रस्ताव उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत शासित होते रहेंगे{नीति का प्रस्तर 4.1}।

2- मेसर्स सत्कृति इन्फोटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (फेन्डा ऑडियो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा डी.एम.आई.सी. आई.आई.टी.जी.एन.एल., ग्रेटर नोएडा में वॉशिंग मशीन, एल.ई.डी. टीवी इत्यादि हेतु विनिर्माण इकाई की स्थापना हेतु 2 चरणों में, भूमि का मूल्य छोड़कर लगभग रु 205.00 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गई है।

3- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स सत्कृति इन्फोटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (फेन्डा ऑडियो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड) को डी.एम.आई.सी. आई.आई.टी.जी.एन.एल., ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत रु 200 करोड़ से अधिक धनराशि का पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार वित्तीय प्रोत्साहन कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

क्र0 सं0	उपादान	प्रोत्साहन का विवरण	अनुमानित धनराशि (रु करोड़ में)
1	पूँजी उपादान	भूमि को छोड़कर पूँजीगत निवेश पर 15 प्रतिशत	30.75
2	स्टैम्प ड्यूटी छूट	भूमि के क्रय करने/ पट्टे पर लेने पर शत प्रतिशत छूट (भूमि के वास्तविक मूल्य के आधार पर) (नीति के	1.64 निवेशक को वास्तविक छूट रु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अन्तर्गत)	1.64 करोड़ प्राप्त हो गई है
3	ब्याज उपादान	5 प्रतिशत ब्याज उपादान, प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम रू 1.00 करोड़ 7 वर्षों तक	7.00
4	एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति	10 वर्षों तक नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति (मानक परिचालन प्रक्रिया-एस0ओ0पी0 दिनांक 12 जून, 2020 यथासंशोधित के आधार पर अनुमन्यता)	** नेट एस.जी.एस.टी.
5	भूमि की प्रचलित दर में छूट	भूमि की प्रचलित दर में 25 प्रतिशत छूट	7.44 निवेशक को छूट प्राप्त हो गई है
** नेट एस.जी.एस.टी. (मानक परिचालन प्रक्रिया-एस0ओ0पी0 दिनांक 12 जून, 2020 के आधार पर अनुमन्यता)			

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निवेशक को अपनी इकाई की स्थापना हेतु मांगे गये उपरोक्त प्रोत्साहन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जायेंगे:-

(1) निवेशक इकाईं को 'उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017' के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलने वाली वित्तीय रियायतें उसके द्वारा किये गये स्थिर पूंजी निवेश (fixed capital investment) के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही अनुमन्य होंगे।

(2) इकाई के स्थिर पूंजी निवेश का आकलन एवँ इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ परियोजना मूल्याँकन रिपोर्ट, इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी के समक्ष प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय वाह्य संस्था (सक्षम वित्तीय संस्थान/बैंक) से अनिवार्य रूप से तैयार कराई जायेगी।

(3) इकाई द्वारा किये गये वास्तविक निवेश के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा किये गये मूल्यॉकन रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक देय प्रोत्साहन/छूट अथवा उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित आगणन में से जो भी निम्नतर हो, अनुमन्य होंगे।

(4) वास्तविक पूँजी निवेश के आकलन हेतु वित्तीय लेखों (financial statements) के अतिरिक्त शासन द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए मूल्याँकन एवं भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।

(5) इकाई द्वारा भूमि के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को कर दिया जाए। यदि निवेशक को भूमि में छूट की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है तो सम्बन्धित प्राधिकरण को उसकी प्रतिपूर्ति नियमानुसार कर दी जायेगी।

(6) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 की व्यवस्था के अनुरूप, वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर किये जाने वाले निवेश ही मान्य होंगे तथा इस अवधि में व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिया जाना आवश्यक है।

(7) उक्त प्रोत्साहनों/छूट की प्राप्ति के लिए उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 की अन्य शर्तें भी प्रभावी होंगी।

5- यह आदेश मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।
कृपया निवेशक को तद्नुसार अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-12/2022/ 880(1)/78-1-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
13- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
14- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।